राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

प.25(1)प्रसु/सम/अनु-1/2017 जयपुर, दिनांकः-01.02.2021

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.12.2017 के द्वारा विभागों की जिला कलेक्टर्स के साथ विभिन्न विषयों पर होने वाली विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से पूर्व निम्न हस्ताक्षरकर्ता से वीसी की तारीख एवं अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि बार – बार विभिन्न विषयों को लेकर विभागों द्वारा जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी आयोजित की जाती है, जिससे जिला कलेक्टर्स को अपने जिले में सुचारू रूप से कार्य संपादित करने में कठिनाई होती है।

अतः भविष्य में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के साथ जिला कलेक्टर्स की विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिये सप्ताह में **मंगलवार** का दिन नियत किया जाता है। विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से पूर्व बैठक के आयोजन का कारण/आवश्यकता, अवधि एवं पूर्व में की गई विडियो कॉन्फ्रेंस की तारीख एवं अवधि का उल्लेख करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति प्राप्त की जावें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि संबंधित विभागीय मंत्री जिला कलेक्टर्स के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहे तो इसके लिये पूर्वानुमति आवश्यक नही होगी।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण महोदय
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर
6. आयुक्त, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
7. रक्षित पत्रावली

प्रमुख शासन सचिव